न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2021/00168 (168/2021)

1. मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री कालूराम आयु 52 वर्ष } जाति जाट निवासीगण
2. दिनेश कुमार पुत्र श्री माहनलाल आयु 29 वर्ष } लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मनीराम पुत्र स्व0 श्री मनफूल आयु लगभग 62 वर्ष जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट/प्राथी

2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट/अप्राथी सं0 3

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(2) अपील संख्या 2022/8 (8/2022)

कमला देवी पत्नी श्री मोहनलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 13 जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. मनीराम पुत्र स्व0 श्री मनफूल आयु लगभग 62 वर्ष जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री कालूराम आयु 52 वर्ष } जाति जाट निवासीगण
3. दिनेश कुमार पुत्र श्री माहनलाल आयु 29 वर्ष } लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

4 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया, दिनांक 26.08.2021
प्रकरण संख्या 197/2018 अनवान मनीराम बनाम मोहनलाल आदि

उपस्थितिः–

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 2012/168
श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 2022/08
श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 6.5.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रास्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क (1) के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में अपनी कृषि भूमि खाता संख्या 10/06 कृष्ण कुमार वगैरा तादादी 9.097 हैक्टर में पत्थर नंबर 147/206 (35) की 2.202 हैक्टर व पत्थर नंबर 147/207 (36) की 2.405 हैक्टर, पत्थर नम्बर 148/206 (34) की 0.759 हैक्टर व पत्थर नम्बर 148/207 (37) की 1.012 हैक्टर के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं हो का कथन करते हुए अपीलाण्ट की संयुक्त खाता की कृषि भूमि खाता संख्या 57/70 तादादी 4.224 हैक्टर में पत्थर नंबर 147/207 (36) के किला नंबर 21, 22, 23 में दक्षिण सिरे पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट की भूमि के किला नं. ...12 अथवा किला नंबर 20 में से कम दूरी का रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए जो ... व सुविधाजनक है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्र...त रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:24 IST
Reason: SelfAttested

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी

3\. अपील संख्या 2021/168 के अपीलाण्ट मोहनलाल के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार ने अपने पत्रांक 31.01.2019 के द्वारा सुविधाजनक व कम दूरी का रास्ता चक 6 एम.एम.के. के पत्थर नंबर 147/206 (35) किला नं. 11 व 12 में उत्तरी तरफ मंजूर किये जाने की अभिशंषा की थी तथा इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने इसी पत्थर नंबर के किला नं. 20 में से मात्र 1 बीघा दूरी का रास्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 के लिए मंजूर करने का कथन किया था। किला नं. 11, 12 व 20 के खातेदारी रजीराम पुत्र सहीराम को तलब किया जाना चाहिए था जो रेस्पोडेण्ट का भाई है। अधीनस्थ न्यायलाय ने रिपोर्ट तहसीलदार में कोई विवेचन नहीं किया तथा मनमाना रूप से रेस्पोडेण्ट सं0 1 की भूमि के लिए वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी इसे संगुप्त रखा है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 गांव लीलावाली से पत्थर नंबर 148 पर दक्षिण से उत्तर स्वीकत रास्ता व तत्पश्चात् पत्थर लाईन पर पूर्व से पश्चिम स्वीकृत रास्ता से होते हए पत्थर नंबर 147/206 (35) के किला नं. 5 व 6 के पूर्वी सिरे से होता हुआ अपने भूमि में आवागमन जारी रखे हुए है इस तथ्य को रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं0 4292/2020 सन्तादेवी बनाम विमला देवी में पतिर निर्णय दिनांक 14.12.2021 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4\. अपील सं0 2022/8 की अपीलाण्टा कमलादेवी के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने सांझा खाते में दर्ज भूमि में से रास्ते की मांग की थी परनतु अपीलाट आवश्यक पखकार होते हुए भी उसे जानबूझकर पक्षकार नही बनाया, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी पक्षकार की आराजी में से रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। स्वीकृत किया गया रास्ता 3 बीघा लम्बा है तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कम देरी का रास्ता उपलब्ध है। तहसीलदार द्वारा अपने पत्रांक द्वारा किला नं. 11, 12 में से रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई थी जिसे अनदेखा किया गया है। मौका रिपोर्ट सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

पक्षकारों के की उपस्थिति में तैयार नहीं करवाई गई है किसी को कोई नोटिस जारी नही किये गये। स्वीकृत किये ये रास्ते से अपलाण्टा से अपूर्णीय क्षति होगी, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपीलाण्टा के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्टा को पक्षकार नही बनाया गया है। स्वीकृत रास्ते से अपीलाण्ट प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्टा को ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी गई है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं0 4292/2020 सन्तादेवी बनाम विमला देवी में पातिर निर्णय दिनांक 14.12.2021 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट ने अपनी कृषि भूमि चक 6 एम.एम.के. प. नं. 147/207 मु. नं. 36 किला नं. 24,25 में जाने हेतु अपीलाण्ट की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने है प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्वीकार करके किला नं. 21, 22 दक्षिण सींव पर एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा निर्धारित राशि जरिये चालान तहसीलदार संगरिया में जमा करवा दिये हैं तहसीलदार द्वारा आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड अंकन कर दिया गया है। रेस्पेडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्गनत रास्ता स्वीकृत किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्टा कमला देवी को अपीलाधीन निर्णय का पूर्व से ही ज्ञान रहा है क्योंकि दोनों अपीलों के अपीलाण्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपीलाण्टा कमला देवी ने ज्ञान होते हुए भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। देरी का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:24 IST
Reason: SelfAttested

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपील 2022/8 कमलादेवी बनाम मनीराम में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट 114/31.01.2019 प्राप्त होने पर प्रश्गनत चक 6 एमएमके के प. नं. 147/207मु. नं. 36 के किला नं. 21 ता 23 में 1–1 बिस्वा दक्षिण दिशा में पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत किया है। उक्त रास्ता सभी पक्षकार अप्रार्थी सं0 1 ता 2 सहित सार्वजनिक उपयोग/उपभोग कर सकेंगे। रेस्पोडेट के पास कोई वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्ता नहीं हेाने से रास्ते की आवश्यकता के तथ्य को विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर माना है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है रास्ता स्वीकृत होने से सभी सहकाश्तकार उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग कर सकेंगे। उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने अन्य कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील संख्या 168/2021 मोहनलाल आदि बनाम मनीराम आदि खारिज किये जाने योग्य है एवं अपील संख्या 8/2022 कमलादेवी बनाम मनीराम में अपीलाण्टा का धारा 96 सीपीसी एवं अपील दोनों खारिज किये जाने योग्य हैं।

9. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील संख्या 168/2021 मोहनलाल आदि बनाम मनीराम आदि खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 8/2022 कमलादेवी बनाम मनीराम में अपीलाण्टा का धारा 96 सीपीसी एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.08.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। अपील पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:24 IST
Reason: SelfAttested

6/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)